DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Government of India, Ministry of Finance

Department of Finance Services, (Banking Division)

797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur 482001 (M.P)

Case No.: OAEX 223/2012 in O.A. No. 227/2012

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.

Vs

M/s. VIJETA CONSTRUCTION COMPANY

E-Auction No. 05 / 2022

Under mentioned properties will be sold by "on line e-auction" through website: **https://www.bankeauctions.com** for recovery of a sum of **Rs.16,36,64,849.84 (Rupees Sixteen Crore Thirty Six Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred Forty Nine and Eighty Four Paise only)** payable by you/him in respect of Recovery Certificate in **O.A. No. 227/2012** issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur with interest at **16.50%** p.a. with simple Interest from **14-09-2012** and costs payable as per recovery certificate till realization.

Date and Time of E-auction : 02-09-2022 Between 12.00 Hours and 13.00 hours

SPECIFICATION OF THE PROPERTIES PUT FOR SALE

(1) Partly Constructed, Commercial Cum Residential Complex on (i) Kh. No. 296/34, 35, P.H. No. 114, Area 3010.00 Sq.Ft. (ii) Kh. No. 296/31, 33, Plot No. 9 & 10, Area 4000.00 Sq.Ft. (iii) Kh. No. 296/34, 35, (Plot No. 35 Sheet No. 32) Area 3010.00 SqFt. (iv) Kh. No. 296/88, (Plot No. 22 (Plot No. 33) Area 2800.00 Sqft. (v) Kh. No. 296/31 & 33, Plot No. 8, Area 2000.00 Sq.Ft. (vi) Kh. No. 296/80, P.H. No. 114, Area 6756.00 SqFt. (vii) Kh. No. 296/87, P.H. No. 114, Area 2100.00 SqFt. (viii) Kh. No. 296 (A Part), Area 3324.00 SqFt. Total Land Area 27000 SqFt., Raipur Development Authority, Rajendra Nagar Scheme, Mauza Tikarapara, P.H. No. 114, Revenue circle Raipur-2, Raipur (C.G.) in the name of Mr. Basant Bagade, Mrs, Vijaya Bagade, Mr. Naresh Dongare and Mr. Vaibhav Bagade.

(2) Residential Land and Shed Over it on Kh. No. 387/1, P.H. No. 114, Close to Bajaj Nagar, Sector-II Garden, Bajaj Nagar, Ward No. 46, Revised Ward no. 52, Tikarapara, RNM Raipur 2, Raipur-492001 (C.G.) Admeasuring 1020.00Sq.Mtr. = 10975.00 Sq.Ft. in the name of Mrs. Vijya Bagade W/o Mr. Basant Bagade.

Upset Price : **For, Prop. No.1: Rs.15,56,40,000.00 (Rupees Fifteen Crore Fifty Six Lakh Forty Thousand only); Prop. No. 2: Rs.1,79,99,000.00 (Rupees One Crore Seventy Nine Lakh Ninety Nine Thousand only)**

Conditions of Sale:

1. Intending bidders must hold a valid digital signature certificate. For details contact **M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id:- mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com**

2. Intending bidders are advised to go through website: **https://www.bankeauctions.com** for auction bid form and details, terms and conditions of sale before submitting their bids.

3. Bids should be submitted only online in the prescribed form along with a copy of identity document as an attachment to the bid form (refer detailed terms and conditions). Bidder should satisfy them self with regard to correctness, measurement, encumbrances etc by their own sources (Govt. Office) also later on DRT will not be responsible for this.

4. 10% of the upset price i.e. EMD/Bid price **For, Prop. No.1: Rs.1,55,64,000.00 (Rupees One Crore Fifty Five Lakh Sixty Four Thosand only); Prop. No. 2: Rs.17,99,900.00 (Rupees Seventeen Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred only)** must be remitted towards EMD through RTGS/NEFT/Money Transfer to the credit of Account no. **07170200000431** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **Bank of Baroda Naper Town Branch Jabalpur** (IFSC Code: **BARBONAPIER)** and the remittance must be clearly mentioned in the bid form.

5. **Bids should be submitted on or before 17.00 Hours on 30-08-2022 online.**

6. A copy of the bid form along with its enclosure submitted online should be sent to Recovery Officer, DRT, Jabalpur, 797-II Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur so as to reach at the earliest.

7. Online bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be **For, Prop. No.1: Rs.20,00,000.00 (Rupees Twenty Lakh only); Prop. No. 2: Rs.2,00,000.00 (Rupees Two Lakh only).** In case of bid received before closure of Auction window, there shall be an automatic extension of 5 minutes in Auction time by the system.

8. The refund of EMD of the unsuccessful bidders will be remitted to the same account from which the payment has been made and no inquiry in this regard will be entertained. After deposit of EMD by intending bidder they cannot withdraw the EMD amount until they are declared as "Unsuccessful bidder" otherwise the amount will be forfeited.

9. In the case of immovable property listed in the schedule below, the successful bidder shall remit 25% of the bid amount (less EMD) on the next day on declaration, if the sale is knocked down in his/her favour, through RTGS/NEFT/Money Transfer to the Account no. **07170200000431** mentioned in SL. no. 4 and in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold and amount deposited as EMD will be forfeited.

19/7/22

ऋण वसूली अधिकरण DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

10. The successful bidder shall remit balance 75% of the sale amount along with poundage of 1% of sale amount plus Rs.10/- for each property separately within 15 days of auction, to the Account no. **07170200000431** mentioned at SL. no 4 through RTGS/NEFT/Money Transfer, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office working day after 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit will be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

11. Property will be sold " **As is Where is and No Complaint basis**".

12. The properties can be inspected on **20-08-2022** Between 12.00 hours and 16.00 hours.

13. Properties will not be sold below the upset price.

14. Recovery Officer have the absolute right to accept or reject the bid or postpone/cancel the sale without assigning any reason.

15. Intending bidders are advised to peruse copies of the title deed available with the **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744** and also check the identity and correctness of the property details and encumbrances etc from their own sources also. DRT will not be responsible for correctness etc.

16. Details regarding e-Auction shall be obtained from M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: **https://www.bankeauctions.com**; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id:- **mpcg@c1india.com** or 8319822113, E-mail ID: **support@bankeauctions.com**.

17. Further property details if any required shall be obtained from **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744.**

18. The bidders may participate in the e-auction by quoting / bidding from their own offices / places of their choice. Internet connectivity shall have to be ensured by each bidder himself. DRT/ Bank / Service Provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, Power failure etc.

Place : Jabalpur
Date : 19-07-2022

(Satish Solanki)
RECOVERY OFFICER

(SATISH SOLANKI)
RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
JABALPUR (M.P.)

ई नीलामी सूचना
ऋण वसूली अधिकरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवायें विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
797–द्वितीय तल शांति कुन्ज जबलपुर-(मप्र) 482001

Case No.: OAEX 223/2012 / ओ.ए.नं. 227/2012

ई-नीलामी क्रमांक 109 /2022

- PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD. वि. M/s. VIJETA CONSTRUCTION COMPANY एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक RC No. OAEX 223/2012 / O.A. No. 227/2012 में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र Rs.16,36,64,849.84 (Rupees Sixteen Crore Thirty Six Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred Forty Nine and Eighty Four Paise only) तथा उस पर 16.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 14.09.2012 से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई–नीलामी प्रकिया के तहत वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से की जायेगी।

ई नीलामी की तिथि एवं समय :– 02-09-2022 दोपहरः 12.00 से 01.00

संपत्ति की अनुसूची

(1) Partly Constructed, Commercial Cum Residential Complex on (i) Kh. No. 296/34, 35, P.H. No. 114, Area 3010.00 Sq.Ft. (ii) Kh. No. 296/31, 33, Plot No. 9 & 10, Area 4000.00 Sq.Ft. (iii) Kh. No. 296/34, 35, (Plot No. 35 Sheet No. 32) Area 3010.00 SqFt. (iv) Kh. No. 296/88, (Plot No. 22 (Plot No. 33) Area 2800.00 Sqft. (v) Kh. No. 296/31 & 33, Plot No. 8, Area 2000.00 Sq.Ft. (vi) Kh. No. 296/80, P.H. No. 114, Area 6756.00 SqFt. (vii) Kh. No. 296/87, P.H. No. 114, Area 2100.00 SqFt. (viii) Kh. No. 296 (A Part), Area 3324.00 SqFt. Total Land Area 27000 SqFt., Raipur Development Authority, Rajendra Nagar Scheme, Mauza Tikarapara, P.H. No. 114, Revenue circle Raipur-2, Raipur (C.G.) in the name of Mr. Basant Bagade, Mrs, Vijaya Bagade, Mr. Naresh Dongare and Mr. Vaibhav Bagade.

(2) Residential Land and Shed Over it on Kh. No. 387/1, P.H. No. 114, Close to Bajaj Nagar, Sector-II Garden, Bajaj Nagar, Ward No. 46, Revised Ward no. 52, Tikarapara, RNM Raipur 2, Raipur-492001 (C.G.) Admeasuring 1020.00Sq.Mtr. = 10975.00 Sq.Ft. in the name of Mrs. Vijya Bagade W/o Mr. Basant Bagade.

प्रारक्षित मूल्य :–रूपये **For, Prop. No.1: Rs.15,56,40,000.00 (Rupees Fifteen Crore Fifty Six Lakh Forty Thousand only); Prop. No. 2: Rs.1,79,99,000.00 (Rupees One Crore Seventy Nine Lakh Ninety Nine Thousand only)**

विकय की शर्ते

1. इच्छुक निविदाकर्ता वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए। अधिक विवरण हेतु **M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id:- mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com**
2. ईच्छुक निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है कि निविदा जमा करने के पूर्व वेब साईट **https://www.bankeauctions.com** पे उपलब्ध नीलामी बीड प्रपत्र तथा विस्तृत नियमों व शर्तो का अवलोकन कर ले।
   बिड केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पहचान पत्र की प्रति साथ संलग्न कर जमा करनी होगी (विस्तृत नियम व शर्तो का संदर्भ ले)।

ऋण वसूली अधिकरण DEBTS RECOVERY TRIBUNAL जबलपुर

4. अग्रिम जमा धरोहर राशि (ईएमडी) हेतु प्रारक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जो रूपये **For, Prop. No.1: Rs.1,55,64,000.00 (Rupees One Crore Fifty Five Lakh Sixty Four Thosand only); Prop. No. 2: Rs.17,99,900.00 (Rupees Seventeen Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred only)** है, RTGS/NEFT/MONEY TRANSFER द्वारा वसूली अधिकारी, ई–नीलामी खाता, ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के नाम से धारित Account no. **07170200000431** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **Bank of Baroda Naper Town Branch Jabalpur (IFSC Code: BARB0NAPIER)** में आवश्यक रूप से जमा करनी होगी तथा उक्त राशि का प्रेषण बिड प्रपत्र में सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा ।

5. निविदा ऑनलाईन माध्यम से दिनांक **30.08.2022** अथवा इसके पूर्व 17–00 बजे तक जमा करनी होगी ।

6. ऑनलाईन माध्यम से जमा बिड प्रपत्र तथा अनुलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, 797– द्वितीय तल शांतिकुन्ज जबलपुर को प्रेषित करनी होगी तथा षीघ्र अति षीघ्र भेजने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को सूचित किया जाता है और वह, सभी नीलामी के खरीददारों की सूची एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध करावें।

7. ऑनलाईन नीलामी बोली प्राप्त बिड में से अधिकतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक बिड वृद्धि राशि न्यूनतम रू. **For, Prop. No.1: Rs.20,00,000.00 (Rupees Twenty Lakh only); Prop. No. 2: Rs.2,00,000.00 (Rupees Two Lakh only)** होगी। ऑन लाईन बिड में समय समाप्त के पूर्व बिड डालने पर स्स्टिम द्वारा अपने आप 5 मिनिट का समय बढता रहेगा।

8. असफल बोलीकर्ताओं की अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर द्वारा उसी खाते में वापिस की जायेगी, जिससे कि उसका भुगतान हुआ है तथा इस संबंध में कोई भी पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा अग्रिम धरोहर राशि (ईएमडी) जमा किये जाने के पश्चात् वे जबतक असफल बोलीकर्ता घोषित नहीं किये जाते तब तक ईएमडी राशि वापस नहीं ले सकते अन्यथा राशि जप्त कर ली जायेगी।

9. सफल बोलीकर्ता को विक्रय उसके पक्ष में घोषित किये जाने की स्थिति में, 25 प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी राशि *को समायोजित* करते हुए) अगले दिन RTGS/NEFT/MONEY TRANSFER के द्वारा कंडिका – 4 में उल्लेखित खाते में जमा करनी होगी ।

10. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि, एवं विकय मूल्य का 1 प्रतिशत पोन्डेज शुल्क तथा रू. 10 (प्रति संपत्ति अलग अलग) सहित नीलामी के 15 दिनों के अन्दर या यदि 15 वा दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश हो तो, 15 वें दिन पश्चात् प्रथम कार्यालयीन दिवस को उपरोक्त उल्लेखित कमांक 4 में दर्शित खाते में समयावधि में भुगतान करना होगा। भुगतान में चूक करने पर संपत्ति की नई विकय उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् पुनः विकय की जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त राशि शासन के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी तथा तत्पश्चात विकय होने वाली संपत्ति अथवा राशि के किसी अंश पर चूककर्ता बोलीकर्ता के समस्त दावे समपहृत होंगे।

ऋण वसूली अधिकरण DEBTS RECOVERY TRIBUNAL जबलपुर

11 संपत्ति **"जहां है जैसी है तथा बिना किसी शिकायत"** के आधार पर विक्रय की जायेगी।

12 संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **20-08-2022** **प्रातः 12 बजे से 16 बजे** तक किया जा सकेगा ।

13. संपत्ति प्रारक्षित मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय नहीं की जायेगी ।

14. वसूली अधिकारी को किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का या बिना कोई कारण बताये नीलामी को आगे बढाने या स्थगित करने का निर्बाध अधिकार होगा ।

15. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744** में उपलब्ध संपत्ति के स्वत्वाधिकार विलेख का निरीक्षण कर ले तथा संपत्ति की पहचान एवं विवरणी सही होने तथा प्रभारों आदि की पड़ताल कर ले। इस संबंध में वसूली अधिकारी किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा । संपत्ति का विवरण बैंक द्वारा प्रदत्त दस्तावेज पर आधारित है।

16. ई-नीलामी के संबंध में विवरण **M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id:- mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com**

17. संपत्ति से संबंधित अधिक जानकारी **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744** से प्राप्त की जा सकती है।

18. इच्छुक निविदाकर्ता ई–नीलामी प्रक्रिया में अपने स्वयं के कार्यालय / स्वेच्छा के स्थान से बोली हेतु सम्मिलित हो सकते है। प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा इंटरनेट कनेक्टीविटी स्वतः सुनिश्चित करनी होगी। डी आर टी / बैंक / सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से इंटरनेट कनेक्टीविटी, नेटवर्क समस्या, तंत्र विक्षेप, विघुत व्यवधान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

19/7/22

(सतीष सोलंकी)
वसूली अधिकारी

स्थानः– जबलपुर
दिनांक– 19.07.2022

(SATISH SOLANKI)
RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
JABALPUR (M.P.)

ऋण वसूली अधिकरण
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

धनखड़ ने जाट नेताओं से मुलाकात की

नई दिल्ली. ए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की, जिन्होंने धनखड़ को उनकी उम्मीदवारी के लिए शुभकामनाएं दीं. धनखड़ का राजग के नेताओं से शाम को मिलने का कार्यक्रम है. तेवतिया, चौहान, मलिक और जाट समुदाय के अन्य खाप नेताओं ने धनखड़ से मुलाकात की.

चार कांग्रेसी सांसद सत्र से निलंबित

- विपक्षी सांसदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हंगामे पर कार्रवाई
- भड़के बिरला बोले, मेरी सहृदयता का अलग अर्थ नहीं निकालें

एजेंसी | नई दिल्ली.
www.navabharat.news

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सांसदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के साथ कामकाज में सतत व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया है और सोमवार को कांग्रेस के चार सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया. इससे पहले प्रश्नकाल में अध्यक्ष बिरला ने शोर-शराबा करने वाले सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए कहा, 'मेरी सहृदयता का अलग अर्थ नहीं निकालें. तीन बजे के बाद मैं सदन में चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं. सरकार चर्चा कराने को तैयार है.'

लोकसभा में पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में आसन के प्राधिकारों की उपेक्षा करने के मामले में कांग्रेस सदस्यों मणिकम टैगोर, टी एन प्रतापन, जोतिमणि और राम्या हरिदास को संसद के मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित करने की घोषणा की. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव रखा कि इन चार सदस्यों के सदन की गरिमा के प्रतिकूल आचरण को देखते हुए इन्हें चालू सत्र की शेष अवधि के लिए कार्यवाही से निलंबित किया जाए.

सरकार महंगाई पर चर्चा को तैयार :मंत्री

लोकसभा से कांग्रेस के चार सदस्यों के निलंबन को उचित ठहराते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि सरकार महंगाई पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सांसदों ने आसन की गरिमा का सम्मान नहीं किया और कानूनों का उल्लंघन करते हुए हंगामा किया.

रास में महंगाई व जीएसटी पर विपक्ष का हंगामा

महंगाई एवं कुछ आवश्यक वस्तुओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने के मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया. इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और सदन को तीन बार स्थगित करना पड़ा. दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों ने महंगाई एवं जीएसटी मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा आरंभ कर दिया. हंगामा को देखते हुए दो बज कर 14 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. उल्लेखनीय है कि सोमवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के कारण उच्च सदन की बैठक दोपहर दो बजे शुरू हुई.

उद्धव कितनी बार सीएम दफ्तर गए, बताएं : शिंदे खेमा

मुंबई. ए. शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े ने सोमवार को उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि जब वह सत्ता में थे तो वह कितनी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय गए और क्या उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को समय दिया. एकनाथ शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने पिछले महीने ठाकरे नीत सरकार के गिरने के बाद शिवसेना अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए यह बात कहीं.

ईडी के मुद्दे पर आज फिर प्रदर्शन

नवभारत नेशनल ब्यूरो | नई दिल्ली.
www.navabharat.news

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को ईडी की होने वाली पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर संसद के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन करेगी. सोमवार को देर शाम पार्टी पदाधिकारियों ने इसकी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की. कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सरकार विपक्षी नेताओं की विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है.

हद तो यह है कि विपक्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह तक नहीं करने दिया जा रहा है. इसके बावजूद कांग्रेस के सांसद दिन में 11 बजे दोनों संसद के सदनों में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे और सड़क पर भी सत्याग्रह किया जाएगा. ध्यान रहे कि 21 तारीख को भी जब कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के समक्ष पेश हुई थीं तो भारी संख्या में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी थीं.

गोहिल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी भी किसी जांच एजेंसी का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नहीं किया. गुजरात दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समन किया था. यह निर्णय यूपीए सरकार या कांग्रेस का नहीं था.

समारोह | राष्ट्रपति शपथ समारोह में वरिष्ठ नेता

नयी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में देश की 15 वीं राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए.

यादव वोटबैंक में सेंध लगाने में जुटी भाजपा

कानपुर. ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि वह किसी पार्टी और व्यक्ति के विरोध को देश की मुखालफत में न बदले.

- सिख दंगों में वीरता दिखाने वाले यादव की पुण्यतिथि में शामिल हुए मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कई सिखों के जीवन की रक्षा करने में वीरता के प्रदर्शन के लिए हरमोहन सिंह यादव को 1991 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था. राजनीतिक विश्लेषक सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संबोधन को यादव वोटबैंक में सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

फास्ट फारवर्ड

पार्टी ने मंजूरी दी तो चुनाव लड़ूंगा : विजयेंद्र

कोप्पल (कर्नाटक). ए. पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दी तो वह 2023 का राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उनकी उम्मीदवारी के संबंध में उचित समय पर निर्णय लेगा और येदियुरप्पा ने लोगों के दबाव में उन्हें चुनाव के लिए पारिवारिक गढ़ शिकारीपुरा से उम्मीदवार के रूप में घोषित किया लेकिन इसके लिए पार्टी की मंजूर जरूरी है.

बर्नार्ड मराक को फंसाया गया : भाजपा

शिलांग. ए. मेघालय के तुरा शहर में वेश्यालय चलाने के आरोपी भाजपा के नेता बर्नार्ड एन मराक का बचाव करते हुए पार्टी ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है और उनके खिलाफ आरोप हटा दिए जाने चाहिए. हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने एक बयान में कहा कि मराक की जान को खतरा है. मावरी ने कहा, भाजपा इंडनबारी में की गई छापेमारी की निंदा करती है. बर्नार्ड मराक को फंसाया गया और बदनाम किया गया.

हम झुकने वाले नहीं हैं : कांग्रेस

नई दिल्ली. ए. कांग्रेस ने लोकसभा के अपने चार सदस्यों मणिकम टैगोर, टी एन प्रतापन, जोतिमणि और राम्या हरिदास को संसद के मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए सभा से निलंबित किए जाने को लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना करार देते हुए कहा कि सरकार उसे झुकाना चाहती है, लेकिन वह झुकने वाली नहीं है.

दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च, हाईकोर्ट जाने कहा

नई दिल्ली. ए. दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च का ऑडिट कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा कि वह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में जाएं. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले हैं जिनसे निपटने में उच्च न्यायालय सक्षम है.

राजनाथ व गडकरी के बयानों पर कांग्रेस की चुटकी

पूछा, क्या यह राजनीति में जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं?

नवभारत नेशनल ब्यूरो | नई दिल्ली.
www.navabharat.news

मोदी सरकार के दो बड़े मंत्रियों राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के ताजा बयान मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं. ऐसे में कांग्रेस में कांग्रेस ने भी चुटकी लेने के अंदाज में सवाल दागा है कि क्या यह राजनीति में जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं?

दरअसल एक दिन पहले जम्मू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा था इन दिनों बहुत से लोग देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं. वे किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकते हैं. राजनाथ के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजनीति देश और समाज के विकास के लिए होती है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हो रही है. उन्हें कई बार लगता है कि राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी में इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है. गडकरी का कहना था कि हमें समझना चाहिए कि राजनीति शब्द क्या है? यह देश और समाज कल्याण के लिए है या सत्ता में बने रहने के लिए?

राजनीति छोड़ने के बारे में सोचता हूं : गडकरी

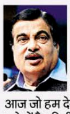

गडकरी ने कहा, हमें यह समझना होगा कि राजनीति का मतलब क्या है. क्या यह समाज, देश के कल्याण के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? उन्होंने कहा, महात्मा गांधी के दौर से राजनीति सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन बाद में इसका फोकस राष्ट्र और विकास के लक्ष्य की तरफ बढ़ गया. उन्होंने कहा, आज जो हम देख रहे हैं, वह 100 फीसदी केवल सत्ता में बने रहने के बारे में है. गिरीश गांधी को लेकर उन्होंने कहा, जब गिरीश भाई राजनीति में थे, तो मैं उन्हें हतोत्साहित करता था, क्योंकि मैं भी कभी-कभी राजनीति छोड़ने के बारे में सोचता हूं.

योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए

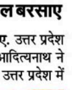

लखनऊ/बागपत. ए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए. मुख्यमंत्री ने पावन श्रावण माह में चल रही कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के कुशल आवागमन के लिए की गई व्यवस्था का हवाई निरीक्षण किया. योगी ने बागपत में आसमान से और प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया.

मोदी की टोंक पर वजन घटाने में जुटे तेजस्वी

एजेंसी | पटना.
www.navabharat.news

राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव सोमवार को अपनी सुबह की वर्जिश के दौरान एक जीप को खींचते और धकेलते हुए देखे गए. वर्जिश का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद तेजस्वी की तुलना बाहुबली के लीड किरदार से की जा रही है, जो फिल्म में एक विशाल रथ को अकेले खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं.

नजर आए थे. तेजस्वी का यह वीडियो सबसे पहले उनकी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप में साझा किया गया था. वीडियो में टीशर्ट और शॉर्ट्स पहने तेजस्वी अपने आवासीय परिसर में एक जीप को आगे-पीछे घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में खड़गे की सीट पर विवाद

- पद की गरिमा के अनुरूप सीट नहीं देने का कांग्रेस का आरोप
- सरकार ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया

नवभारत नेशनल ब्यूरो | नई दिल्ली.
www.navabharat.news

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोटोकॉल के मुताबिक सीट न दिए जाने से कांग्रेस नाराज हो गई है. बताया जाता है कि उन्हें तीसरी पंक्ति में जगह दी गई थी. पार्टी ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र भेज कर अपना विरोध जताया है और कहा है कि जानबूझकर विपक्ष के नेता की अवमानना की गई है. इस पत्र पर विपक्ष के कई नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं.

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे उच्च सदन में विपक्ष के नेता हैं. राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बैठने के लिए जो स्थान दिया गया था, वह उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था. वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ किया कि शपथ ग्रहण समारोह में खड़गे को को प्रोटोकॉलके हिसाब से सीट दी गई थी. जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई कार्यक्रम हो रहा था, तो उन्हें पहली लाइन में जगह मिली थी. उनका कहना है कि विपक्ष बिना वजह इसे मुद्दा बना रहा है.

पीएम के बगल में जगह दी थी, लेकिन खड़गे नहीं आए

मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शनिवार को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई कार्यक्रम में खड़गे को प्रधानमंत्री के बगल वाली सीट दी गई, लेकिन वे नहीं आए. उन्होंने कहा, यह राष्ट्रपति का भी अपमान था. आज वे (विपक्ष) बिना किसी मुद्दे का मुद्दा बना रहे हैं. वरीयता क्रम के बावजूद, हमने उन्हें पहली पंक्ति में सीट देने का प्रयास किया. ज्यादातर कैबिनेट मंत्री दूसरी पंक्ति में बैठे.

सरकार बोली, तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में जगह दी

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है. वरीयता के क्रम में, विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्रियों के बाद आते हैं. नियमों के तहत उनको तीसरी पंक्ति में आती है लेकिन खड़गे जी की वरिष्ठता का सम्मान करने के लिए, उन्हें पहली पंक्ति में ही सीट प्रदान की गई थी. जोशी ने कहा कि जब खड़गे ने किनारे वाली अपनी सीट को लेकर आपत्ति जताई तो वहां मौजूद कर्मियों ने बीच में आने का अनुरोध किया लेकिन खड़गे ने मना कर दिया.

मोदी की एसआईटी पेशी पर झूठ बोल रही भाजपा : कांग्रेस

नई दिल्ली. ए. कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि इस बात में कोई दम नहीं है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष बुलाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने कोई विरोध नहीं किया था. कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना था, यह भी गलत है कि मोदी जी सीधे ही एसआईटी के सामने पेश हो गए थे. एसआईटी के सामने ना पेश होने के लिए उस वक्त भी भाजपा के विधायक कालू मालिवाड़ जी को उच्च न्यायालय भेजा गया था. उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया गया था, लेकिन वहां से भी कोई राहत ना मिलने के बाद मोदी जी एसआईटी के सामने पेश हुए थे.

- मोदी और भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था, ये गलत
- सुप्रीम कोर्ट से भी राहत ना मिलने पर पेश हुए थे मोदी

शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, सोशल मीडिया और कुछ चुनिंदा मीडिया के जरिये यह बताने का प्रयास हुआ है कि मोदी जी को भी एसआईटी ने बुलाया था और उस वक्त वो शांति से एसआईटी के सामने चले गए थे. यह सरासर झूठ है कि मोदी जी को जब एसआईटी के सामने बुलाया था तब, भाजपा और मोदी जी ने कोई भी विरोध नहीं किया था. उन्होंने दावा किया, जब मोदी जी को एसआईटी के सामने बुलाया गया तब भाजपा ने पूरे गुजरात में कांग्रेस और संप्रग सरकार एवं राज्य के राज्यपाल के खिलाफ बहुत बुरे-बुरे नारे दीवारों पर लिखवाये थे और कहीं-कहीं पर जुलूस निकाल कर भाजपा के लोगों ने नारेबाजी की थी.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
वित्त सेवाएं विभाग, (बैंकिंग डिविजन)
797-II, शांति कुंज, साऊथ सिविल लाइंस, जबलपुर- 482001 (म.प्र.)

प्रकरण क्र. OAEX 223/2012 in O.A. नं. 227/2012
पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि.
बनाम
मे. विजेता कंस्ट्रक्शन कंपनी

ई-नीलामी सं. 109/2022

प्रेसाइडिंग आफिसर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर के द्वारा जारी O.A. नं. 227/2012 में रिकवरी सर्टिफिकेट के संबंध में आपके/ उनके द्वारा देय रु. 16,36,64,849.84 (रुपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ उन्चास एवं चौरासी पैसे मात्र), दिनांक 14.09.2012 से 16.50% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज तथा वसूली होने की तिथि तक रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार देय कास्ट्स सहित की वसूली के लिए, नीचे उल्लेखित संपत्तियों को वेबसाइट https://www.bankauctions.com के जरिये ''आन लाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री किये जाएंगे.

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 02.09.2022, 12.00 बजे तथा 13.00 बजे के बीच

बिक्री के लिये रखी गई सम्पत्तियों का विवरण

(1) आंशिक निर्मित, कामर्शियल-सह-आवासीय काम्प्लेक्स, निम्न ख.नं. पर :- (i) ख.नं. 296/34, P.H. नं. 114, एरिया 3010.00 वर्गफीट, (ii) ख.नं. 296/31, 33, प्लाट नं. 9 व 10, एरिया 4000 वर्गफीट, (iii) ख.नं. 296/34, 35, (प्लाट नं. 35, शीट नं. 32), एरिया 3010 वर्गफीट, (iv) ख.नं. 296/88, (प्लाट नं. 22 (प्लाट नं. 33) एरिया 2800 वर्गफीट, (v) ख.नं. 296/31 व 33, प्लाट नं. 8, एरिया 2000 वर्गफीट, (vi) ख.नं. 296/80, P.H. नं. 114, एरिया 6756.00 वर्गफीट, (vii) ख.नं. 296/87, P.H. नं. 114, एरिया 2100 वर्गफीट, (viii) ख.नं. 296 (A Part), एरिया 3324 वर्गफीट. कुल भूमि का एरिया 27000 वर्गफीट, रायपुर विकास प्राधिकरण, राजेन्द्र नगर स्कीम, मौजा टिकरापारा, P.H. नं. 114, रेवेन्यू सर्किल-2, रायपुर (छ.ग.), मि. बसंत बागड़े, श्रीमती विजया बागड़े, मि. नरेश डोंगरे तथा मि. वैभव बागड़े के नाम पर.

(2) ख.नं. 387/1, P.H. नं. 114 पर आवासीय भूमि तथा इस पर शेड, बजाज नगर के समीप, सेक्टर-II गार्डन, बजाज नगर वार्ड नं. 46, संशोधित वार्ड नं. 52, टिकरापारा, RNM रायपुर-2, रायपुर-492001 (छ.ग.), माप : 1020.00 वर्गमीटर = 10975.00 वर्गफीट, श्रीमती विजया बागड़े पति मि. बसंत बागड़े के नाम पर.

अपसेट प्राइस (UPSET PRICE) : सम्पत्ति क्र. 1 के लिये : रु. 15,56,40,000.00 (रुपये पन्द्रह करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार मात्र); सम्पत्ति क्र. 2 के लिये : रु. 1,79,99,000.00 (रुपये एक करोड़ उन्यासी लाख निन्यानब्ये हजार मात्र)

बिक्री की शर्तें

1. इच्छुक बिडर्स के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिये. विस्तृत जानकारी के लिये संपर्क करें :- मे. सी-1 (C-1) इंडिया प्रा. लिमि., वेबसाइट : https://www.bankauctions.com हेल्प लाइन नं. 0124-4302020/21/22/23/24, ई-नीलामी में बिडर की सहायता के लिये संपर्क करें- मि. दानीश खान, मोबा. नं. 9826804343, 9111444797, ई-मेल आईडी: mpcg@c1india.com अथवा 8319822113, ई-मेल आईडी: support@bankauctions.com
2. इच्छुक बिडर्स को परामर्श दी जाती है कि वे अपने बिड्स जमा करने के पूर्व, आक्शन बिड फार्म तथाविस्तृत जानकारी, बिक्री के नियम तथा शर्तों के लिये वेबसाइट : https://www.bankauctions.com के जरिये ही जाएं.
3. बिड्स को निर्धारित प्रारूप में, बिड फार्म में संलग्न अनुसार पहचान के दस्तावेज की कापी के साथ, केवल आन-लाइन जमा किया जाना चाहिए (विस्तृत नियमों तथा शर्तों का संदर्भ लें). बिडर को अपने स्वयं के स्त्रोत द्वारा भी (सरकारी कार्यालय), शुद्धता, माप, अधिभार आदि के संबंध में स्वयं अच्छी तरह से संतुष्ट हो लें, बाद में DRT इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
4. अपसेट प्राइस का 10% यानि ईएमडी/बिड प्राइस संपत्ति क्र. 1 के लिए: रू. 1,55,64,000.00 (रूपये एक करोड़ पचपन लाख चौंसठ हजार मात्र), संपत्ति क्र. 2 के लिये: रू. 17,99,900.00 (रूपये सत्रह लाख निन्यान्ब्ये हजार नौ सौ मात्र) की राशि को ईएमडी के रूप में, बैंक आफ बड़ौदा नेपीयर टाऊन ब्रांच, जबलपुर (IFSC कोड : BARBONAPIER) के पास, रिकवरी आफिसर, ई-आक्शन एकाउंट, डीआरटी, जबलपुर के नाम पर एकाउंट नं. 07170200000431 को क्रेडिट करते हुए RTGS/NEFT/ मनी ट्रांसफर के द्वारा ही भेजना चाहिए तथा इसका (रेमिटेन्स का) बिड फार्म में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए.
5. बिड्स को 30.08.2022 को 17.00 बजे या इसके पूर्व आन लाइन जमा हो जाना चाहिए.
6. आन लाइन जमा किये गए बिड की कापी को, इसके संलग्नकों के साथ रिकवरी आफिसर, डीआरटी, जबलपुर, 797-II, शांति कुंज, साऊथ सिविल लाइंस, जबलपुर को भेजना चाहिए ताकि वह शीघ्र पहुंच जाय.
7. आन लाइन बिडिंग, बिड्स के बीच कोट किये गये अधिकतम बोली से शुरू होगी तथा प्रत्येक बिड के लिए न्यूनतम वृद्धि संपत्ति क्र. 1 के लिये : रू. 20,00,000.00 (रूपए बीस लाख मात्र); संपत्ति क्र. 2 के लिये : रू. 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र)होगी. आक्शन विन्डो के बंद होने के पूर्व बिड प्राप्त होने की स्थिति में, सिस्टम द्वारा स्वयंमेव, आक्शन टाइम में 5 मिनट का विस्तार हो जायेगा.
8. असफल बिडर्स के ईएमडी को उसी एकाउंट में वापस कर दिया जाएगा जिससे भुगतान किया गया है तथाइस संबंध में किसी भी तरह के पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा. इच्छुक बिडर द्वारा ईएमडी जमा किये जाने बाद, वे ईएमडी राशि को तब तक निकाल नहीं सकेंगे जब तक कि उन्हें 'असफल बिडर' के रूप में घोषित न किये गए हों, अन्यथा राशि जब्त कर लिया जाएगा.
9. यदि अचल सम्पत्ति नीचे अनुसूची में सूचीबद्ध (listed) हो तो ऐसी स्थिति में, सफल बिडर को, यदि बिक्री उनके/ उनकी पक्ष में knocked down हो जाता है तो, इसकी घोषणा होने के अगले दिन बिड राशि का 25% राशि (ईएमडी कम करके) अनु क्र. 4 में उल्लेखित एकाउंट नंबर 07170200000431 में RTGS/NEFT/ मनी ट्रांसफर के जरिये भेजना होगा तथा जमा न कर पाने की स्थिति में, संपत्ति को फिर से नीलामी के लिये रखी जाएगी तथा फिर से बिक्री किये जायेंगे तथा ईएमडी के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर लिये जाएंगे.
10. सफल बिडर को बिक्री राशि का शेष 75% राशि, बिक्री राशि का 1% पाउंडेज (Poundage) धन प्रत्येक संपत्ति के लिये रु. 10/- पृथक रूप से, नीलामी के 15 दिनों के भीतर, अनु क्र. 4 में उल्लेखित एकाउंट नं. 07170200000431 में RTGS/NEFT/ मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा, विशेष रूप से उस दिन या 15वें दिन यदि रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद पहली कार्यालयीन कार्य दिवस को भेजना होगा. उपरोक्त उल्लेखित अवधि के भीतर भुगतान न हो पाने की स्थितिमें, संपत्ति को, बिक्री के नए उद्घोषणा जारी होने के बाद, फिर से बिक्री किये जाएंगे. जमा राशि सरकार के पास राजसात हो जाएगी तथा जमा न कर पाने वाले खरीददार के संपत्ति या संपत्ति के कोई भी भाग जिसके लिए परवर्ती बिक्री किये जा सकते हैं, के सभी दावे खारिज हो जाएंगे.
11. संपत्ति को ''जहां है, जैसा है तथा No Complaint basis पर'' बेचे जाएंगे.
12. संपत्तियों का निरीक्षण 20.08.2022 को 12.00 बजे तथा 16.00 बजे के बीच किये जा सकते हैं.
13. संपत्तियों को अपसेट प्राइस से कम नहीं बेचे जाएंगे.
14. वसूली अधिकार के पास बिना कोई कारण बताए बिड को स्वीकृत या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूरा अधिकार है.
15. इच्छुक बिडर्स को परामर्श दी जाती है कि वे मि. श्रीमंत शाह, असि. वाइस प्रेसीडेंट, संपर्क नं. 9326425849, 9320317744 के पास उपलब्ध टाइटिल डीड की प्रतियों का अवलोकन कर लें तथा अपने स्वयं के स्त्रोत से संपत्ति की शुद्धता, विवरण तथा अधिभार इत्यादि के पहचान की भी जांच कर लें. शुद्धता इत्यादि के लिये डीआरटी जिम्मेदार नहीं होगा.
16. ई- नीलामी से संबंधित विवरण मे. C-1 इंडिया प्रा. लिमि., वेबसाइट : https://www.bankauctions.com, हेल्प लाइन नं. 0124-4302020/21/22/23/24 से प्राप्त किये जा सकते हैं, ई-नीलामी में बिडर की मदद के लिए मि. दानीश खान, मोबाइल नं. 9826804343, 9111444797 पर संपर्क करें. ई-मेल आईडी : mpcg@c1india.com अथवा 8319822113, ई-मेल आईडी: support@bankauctions.com पर संपर्क करें.
17. संपत्ति की और जानकारी यदि कोई जरूरत हो तो उसे मि. श्रीमंत शाह, असि. वाइस प्रेसीडेंट, संपर्क नं. 9326425849, 9320317744 से प्राप्त किये जा सकते हैं.
18. बिडर्स अपने स्वयं के कार्यालय/ अपने पसंद के स्थान से कोटिंग/बिडिंग करके ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं. प्रत्येक बिडर को स्वयं इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करना होगा. इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाऊन, पावर फेल्योर आदि के लिये डीआरटी/बैंक/सर्विस प्रोवाइडर जिम्मेदार नहीं होगा.

स्थान- जबलपुर
दिनांक- 19.07.2022

हस्ताक्षरित/(सतीश सोलंकी)
वसूली अधिकारी

जनता को निचोड़ो नीति पर चल रही है भाजपा : राहुल गांधी

नई दिल्ली. ए. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो की नीति पर चल रही है.

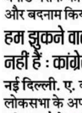

उन्होंने केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया कि वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए. राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, भाजपा की सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो नीति. मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ रुपए बचाए.

द्रौपदी नाम शिक्षक ने रखा था : मुर्मू

- परिवार ने संथाली नाम पुती रखा था
- 'दुरपदी' से लेकर 'दोर्पदी' तक कई बार बदला नाम

एजेंसी | भुवनेश्वर.
www.navabharat.news

भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी का नाम महाकाव्य 'महाभारत' के एक चरित्र के नाम पर उनके स्कूल के एक शिक्षक ने रखा था. एक ओडिया वीडियो पत्रिका को कुछ समय पहले दिए एक साक्षात्कार में मुर्मू ने बताया था कि उनका संथाली नाम 'पुती' था, जिसे स्कूल में एक शिक्षक ने बदलकर द्रौपदी कर दिया था.

मुर्मू ने पत्रिका से कहा था, 'द्रौपदी मेरा असली नाम नहीं था. मेरा यह नाम अन्य जिले के एक शिक्षक ने रखा था, जो मेरे पैतृक जिले मयूरभंज के नहीं थे.' उन्होंने बताया था कि आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के शिक्षक 1960 के दशक में बालासोर या कटक से दौरे पर जाया करते थे. यह पूछे जाने पर कि उनका नाम द्रौपदी क्यों है, उन्होंने कहा था, 'शिक्षक को मेरा पुराना नाम पसंद नहीं था और इसलिए बेहतरी के लिए उन्होंने इसे बदल दिया.' उन्होंने कहा कि उनका नाम 'दुरपदी' से लेकर 'दोर्पदी' तक कई बार बदला गया.

इसलिए पुती नाम मिला था

मुर्मू ने बताया कि संथाली संस्कृति में नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर एक लड़की का जन्म होता है, तो उसे उसकी दादी का नाम दिया जाता है और लड़का जन्म लेता है, तो उसका नाम दादा के नाम पर रखा जाता है.' द्रौपदी का स्कूल और कॉलेज में उपनाम टुडू था. उन्होंने एक बैंक अधिकारी श्याम चरण टुडू से शादी करने के बाद मुर्मू उपनाम अपना लिया था. द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई.

महिला आरक्षण पर भी साफ राय

देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित होने से बहुत पहले मुर्मू ने राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण पर अपने विचार स्पष्ट किए थे. उन्होंने पत्रिका से कहा था, 'पुरुष वर्चस्व वाली राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए.

बेटे की मौत ने तोड़ दिया था मुझे

मुर्मू ने 18 फरवरी 2020 को 'ब्रह्माकुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो' को दिए एक अन्य साक्षात्कार में कहा कि अपने 25 वर्षीय बड़े बेटे लक्ष्मण के निधन के बाद, मैं पूरी तरह टूट गई थी. मैं दो महीने तक तनाव में थी. मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था और घर पर ही रहती थी.

No action against sand mafia

Even after lodging of complaint with Police Chowki

Central Chronicle News

Dongargarh, Jul 25: Despite complaint about illegal excavation of sand from the region, no action has been taken by the Mineral department and this has led to great deal of resentment among the villagers. The villagers have charged the nexus between Revenue officers and sand contractors which is resulting in illegal excavation of sand from the mines.

In the complaint lodged with the local administration, the villagers there is illegal excavation of sand in large quantity from the banks of river behind 'Chichola bazar' in 'Narayangarh' Gram Panchayat using JCB machine. Daily there is movement of around 15-20 Hywa vehicles from this sand mine and the vehicles in which sand is being transported do not even have registration numbers.

Information in this regard was given by Gram Panchayat Narayangarh Sarpanch Shailendra Joshi and other villagers including Ramesh Jangde, Chnadra Sinha, Naraj Sinha, Sukhnandan to the Police Chowki Chichola and to local Patwari and Tehsildar. But till date no action is being taken and sand is illegally being excavated day-in and day-out.

Massive plantation done in Dongargaon College

- From July 1 week till Jul 20

Central Chronicle News

Dongargaon, Jul 25: In the first week of July till July 20, massive plantation was done in Government PG College in the College ground. Among the saplings planted included fruit-bearing, flower, and those with good shade.

At the plantation programme, Principal Dr BN Meshram said that planting saplings it everybody's responsibility. It is from trees only that fruit in the form of herbs are obtained, apart from providing fresh and healthy air to breath and keeping the environment clean by absorbing dust and other pollutants.

On this occasion all the Professors from the Arts, Science and Commerce department planted saplings along with the students. On July 20, it was under direction of the Principal and under the aegis of HOD Sociology deptt Prof. Ganesh Netam that plantation was done. The students of Sociology department viz. Aniket Khobragade, Kavita Sahu, Meenashri, Tamin, Jaishri, Manisha, Triveni, Sonia, Seema and Professors and Asst. Prof of the department took part in it in large number.

District Administration takes step to curb malnutrition

Central Chronicle News

Korea, Jul 25: As per the aspirations of the Chief Minister Bhupesh Baghel to make the state free from malnutrition, district administration has ensured its proper implementation in this tribal dominated Korea district. Along with serving fresh meals to the children at anganbadi centres, for additional nutrition children are given ready-to-eat food and eggs.

For the pregnant mothers and those with small children administration has taken steps to reduce the death rate among them and also a decision has been taken to make the district free from the deficiency of Anemia in this group.

In this direction Parliamentary Secretary and Collector planted drum stick and papaya plants the residence of child Anshika. These trees play a vital role in tiding over mal-nutrition. In the district all the children who are under the category of malnutrition the plants will be planted at their place.

Press Club Koriya reorganised

Issue of illegal recovery by few organisations in the name of journalists discussed; strategy prepared to counter the same

Central Chronicle News

Baikunthpur, Jul 25: The executive body of Koriya Press Club has been re-organised and discussions were held on other issues as well. As per instructions by the Persident of Press Club Koriya Kamlesh Sharma, all the office bearers and members of the Press Club put forth their views and gave their suggestions for the working system and future programmes and prepared the new work plan and strategy for the future. In this the programmes to be organised in the coming days by Press Club Koriya were finalised.

In the meeting the issue that of new Journalist's Organisations are involved in illegal recovery from officers and employees for land allocation for new building of the Press Club and this is maligning the image of journalists with good character and image in the region and it needs to be banned.

The Press Club office bearers strongly condemned the same and on passing of the censure motion the office bearers of the Press Club, Koriya put forth their views and suggestions on the same. It was decided to implement the same immediately and held talks by meeting with the Collector and SP in this regard.

During the meeting the senior member of the Press Club and journalist Ajit Patkar was handed over the charge that of general secretary and the new members of the Press Club- DC Baghel and Hariom Pandey and other members were welcomed with a flower bouquet.

The above meeting was attended by Convener of Press Club Vinod Sharma, Press Club President Kamlesh Sharma, general secy. SK 'Roop', Ajit Patkar, V-P- Yashwant Rajwade, Dronacharya Dubey, Krishna Vidbhuti Tiwari, Treasurer Amit Shrivastava, Secreatry Manoj Singh, Asst. Secy.- Kamroon Nisha, Anoop Bardia, Mahesh Prasad, Avinash Chandra, KrishnaSingh Baba, Farooq Dhebar, Kamaluddin Ansari, Suresh Minocha, Vivekanand Pandey, Naresh Yadav, Satyendra Soni, Pradeep Patwa, Damodar Singh, Ravindra Soni, Ajay Rajak and other journalists and members of the Press Club.

Plantation done under 'Hariyar Abhiyan'

- At Tehsil-level in Dongargaon

Central Chronicle News

Dongargaon, Jul 25: It was on call by the District Sahu Sangh (DSS) Rajnandgaon and under guidance of President Kamal Kishore Sahu, a massive planation programme under 'Hariyar Abhiyan' has been launched all over the district for environment conservation.

In this context members of Tehsil Sahu Sangh (TSS) Dongargaon carried out plantation at tehsil-level under 'Hariyar Abhiyan' in Dongargaon in TSS building in Matia, Dongargaon and nearby areas, the plantation was done.

On this occasion General Secy. TSS Amarnath Sahu, Tehsil President Hemant Sahu, District Accountant Anjor Singh Sahu, convener Mulchand Sahu, Urban President KK Sahu and other colleagues from the society were present.

Nishant secured 92% in Class 12th

Dongargaon, Jul 25: Nishant Sahu, S/o Santosh Sahu, R/o Gram Khursitikul, secured 92.4% marks in the Class 12th exam of CBSE Board and brought laurels to her school and region. Nishant is talented student since childhood and was studying in Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV). On his success, all his family members, closed friends, villagers and teachers and staff of JNV have expressed happiness and wished him all the best in his future endeavours.

Nishant

Every year 400 Naxalites surrender: Sundarraj

- From seven districts of Bastar division
- 280 Naxalites have surrendered from Jan to July this year

Jagdalpur, Jul 25: Bastar IG Sundarraj P said that seven districts of Bastar division are Naxal-affected and on an average, 400 Naxalites are surrendering here every year under the Naxal eradication campaign being run in Bastar division.

IG- Sundarraj

Talking about current year 2022, so far 280 Naxalites have laid down their arms. This is a great success in the ongoing fight against Red Terror. The number of members of the Area Committee and Janatana Sarkar are more among the surrendered Naxalites.

The surrendered Naxalites have made many revelations, according to which the big Naxalite leaders harass the small Naxalite cadres. They are not allowed to raise the family in the Naxalite organization.

Significantly, the cases of surrender or arrest of Naxalite or division level leaders of a large cadre of Naxal organization operating in Bastar are very less. Since the year 2016, the pace of surrender in Bastar has increased significantly. Police say that with this surrender, the fear of Naxalites is gradually decreasing in the rural areas.

The police are getting an edge due to the continuous opening of police camps at strategic places. The number of surrenders can be understood from the fact that from January to July 2022, 280 Naxalites have surrendered so far in different districts of Bastar division.

As a result of this, Kondagaon has recently been declared a Naxal-free district. Despite this, sporadic Naxal activities continue in some parts of the district. The Naxalites who surrender an average of 400 per year are being helped by the government under the rehabilitation policy.

Jewellery, other goods worth Rs 40000 stolen

From an abandoned house in Kedarbadi

Dongargarh, Jul 25: Jewellery worth Rs 40000 is reported to have been stolen from the house of Asst. Prof. Dr EV Rewati's house, teaching in Nehru College, Dongargarh and residing ini Kedarbadi, ward No. 3. The complainant in her report has informed that the house of her husband's sister P Manjula is adjacent to her house and she presently lives along with her daughter in Tatanagar. The house was abandoned and therefore the theft took place in it. As per information in this regard, the maid servant working in complainant's house used to go along with her mother-in-law for cleaning in the house. It was on July 23 after dinner we all went to sleep and the room on first floor was also locked. In the morning the maid servant Shakun went to the house of my husband's wife along with my mother-in-law E Jyoti (75 yrs) and they saw that the lock in the front gate is broken and the thieves have also broken the lock in the channel gate and ran away with jewellery and other goods worth Rs 40000 kept inside the Almirah. The maid servant informed about the theft to EV Rewati and a complaint was lodged with the police that on the intervening night of July 23-24 the theft incident had taken place. The police has lodged a case and taken the matter under investigation.

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that I, VIJAY KUMAR MOTWANI S/o Late LAXMAN DAS MOTWANI resident of House No. 21, Ward No. 47, Raipur Naka, Sindhi Colony, Durg, Teh. & Distt. Durg (C.G.) 491001 have changed my old name VIJAY KUMAR MOTWANI S/o Late LAXMAN DAS MOTWANI, so in future I should be recognized by my new name VIJAY MOTWANI S/o Late LAXMAN DAS MOTWANI in all government and other documents.

VIJAY MOTWANI
House No. 21, Ward No. 47, Raipur Naka, Sindhi Colony, Durg, Teh. & Distt. Durg (C.G.) 491001

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that I, Nagendra Kumar Kushwaha S/o Ramkant Kushwaha resident of EWS 112, 32 Ekad Housing Board I.E Bhilai, Teh & Distt- Durg, Chhattisgarh have changed my old name Nagendra Kumar Kushwaha S/o Ramkant Kushwaha, so in future I should be recognized by my new name Nagendra Kushwaha S/o Ramkant Kushwaha in all government and other documents.

Nagendra Kushwaha
S/o Ramkant Kushwaha resident of EWS 112, 32 Ekad Housing Board I.E Bhilai

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that I, Mukesh Sakarkar S/o late Laxman Sakarkar resident of House No. 66, Mannam Nagar, in front of Sant Xavior School Dhanora, Teh & Distt- Durg, Chhattisgarh have changed my old name Mukesh Sakarkar S/o late Laxman Sakarkar, so in future I should be recognized by my new name Mukesh Kumar Sakarkar S/o late Laxman Sakarkar in all government and other documents.

Mukesh Kumar Sakarkar
S/o late Laxman Sakarkar resident of House no. 66, Mannam Nagar, In front of Sant Xavior School, Dhanora

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ता धनंजय साहू पिता स्व. दुकालू राम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी- वृन्दा नगर शिवपारा बोरसी, वार्ड नं. 51, तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का रहने वाला हूं जो कि निम्नलिखित कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करता हूं।

1. यह कि, मैं शपथकर्ता के नाम व पता उपरोक्त अनुसार है।

2. यह कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं धनंजय पिता स्व. दुकालू राम साहू उम्र 21 निवासी- वृन्दा नगर शिवपारा बोरसी, वार्ड नं. 51, तह. व जिला दुर्ग छ.ग. यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम धनंजय को जो नाम धनजय साहू पिता स्व. दुकालू राम साहू, करवाना चाहता हूं।

अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों मेरे नये नाम धनंजय साहू पिता स्व. दुकालू राम साहू के नाम से ही पहचाना जावें।

सत्यापन :– मैं शपथकर्ता धनंजय साहू पिता स्व. दुकालू राम साहू, उम्र 21 वर्ष निवासी- वृन्दा नगर शिवपारा बोरसी, वार्ड नं. 51, तह व जिला दुर्ग छ.ग. यह सत्यापित करता हूं कि, इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक-01 से लेकर 02 तक की संपूर्ण जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, जिस पर आज दिनांक 25/07/2022 को दुर्ग में हस्ताक्षर कर दिया।

शपथकर्ता

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
Government of India, Ministry of Finance
Department of Finance Services, (Banking Division)
797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur 482001 (M.P)

Case No.: OAEX 223/2012 in O.A. No. 227/2012
PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.
Vs
M/s. VIJETA CONSTRUCTION COMPANY
E-AUCTION NO. 109 / 2022

Under mentioned properties will be sold by **"on line e-auction"** through website: **https://www.bankeauctions.com** for recovery of a sum of **Rs.16,36,64,849.84 (Rupees Sixteen Crore Thirty Six Lakh Sixty Four Thousand Eight Hundred Forty Nine and Eighty Four Paise only)** payable by you /him in respect of Recovery Certificate in **O.A. No. 227/2012** issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur with interest at 16.50% p.a. with simple Interest from **14-09-2012** and costs payable as per recovery certificate till realization.

DATE AND TIME OF E-AUCTION: 02-09-2022 BETWEEN 12.00 HOURS AND 13.00 HOURS

SPECIFICATION OF THE PROPERTIES PUT FOR SALE

(1) Partly Constructed, Commercial Cum Residential Complex on (1) Kh. No. 296/34, 35, P.H. No. 114, Area 3010.00 Sq.Ft. (ii) Kh. No. 296/31, 33, Plot No. 9 & 10, Area 4000.00 Sq.Ft. (iii) Kh. No. 296/34, 35, (Plot No. 35 Sheet No. 32) Area 3010.00 SqFt. (iv) Kh. No. 296/88, (Plot No. 22 (Plot No. 33) Area 2800.00 Sqft. (v) Kh. No. 296/31 & 33, Plot No. 8, Area 2000.00 Sq.Ft. (vi) Kh. No. 296/80, P.H. No. 114, Area 6756.00 SqFt. (vii) Kh. No. 296/87, P.H. No. 114, Area 2100.00 SqFt. (viii) Kh. No. 296 (A Part), Area 3324.00 SqFt. Total Land Area 27000 SqFt., Raipur Development Authority, Rajendra Nagar Scheme, Mauza Tikarapara, P.H. No. 114, Revenue circle Raipur-2, Raipur (C.G.) in the name of Mr. Basant Bagade, Mrs. Vijaya Bagade, Mr. Naresh Dongare and Mr. Vaibhav Bagade.
(2) Residential Land and Shed Over it on Kh. No. 387/1, P.H. No. 114, Close to Bajaj Nagar, Sector-II Garden, Bajaj Nagar, Ward No. 46, Revised Ward no. 52, Tikarapara, RNM Raipur 2, Raipur-492001 (C.G.) Admeasuring 1020.00Sq.Mtr. = 10975.00 Sq.Ft. in the name of Mrs. Vijya Bagade W/o Mr. Basant Bagade.

UPSET PRICE: For, Prop. No.1: Rs.15,56,40,000.00 (Rupees Fifteen Crore Fifty Six Lakh Forty Thousand only); Prop. No. 2: Rs.1,79,99,000.00 (Rupees One Crore Seventy Nine Lakh Ninety Nine Thousand only)

CONDITIONS OF SALE

1. Intending bidders must hold a valid digital signature certificate. For details contact **M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id: mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com**
2. Intending bidders are advised to go through website: **https://www.bankeauctions.com** for auction bid form and details, terms and conditions of sale before submitting their bids.
3. Bids should be submitted only online in the prescribed form along with a copy of identity document as an attachment to the bid form (refer detailed terms and conditions). Bidder should satisfy them self with regard to correctness, measurement, encumbrances etc by their own sources (Govt. Office) also later on DRT will not be responsible for this.
4. 10% of the upset price i.e. EMD/Bid price **For, Prop. No.1: Rs. 1,55,64,000.00 (Rupees One Crore Fifty Five Lakh Sixty Four Thousand only); Prop. No. 2: Rs.17,99,900.00 (Rupees Seventeen Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred only)** must be remitted towards EMD through RTGS/NEFT/Money Transfer to the credit of **Account no. 07170200000431** in the name of Recovery Officer. E-auction account, DRT Jabalpur with **Bank of Baroda Naper Town Branch Jabalpur (IFSC Code: BARBONAPIER)** and the remittance must be clearly mentioned in the bid form.
5. **Bids should be submitted on or before 17.00 Hours on 30-08-2022 online.**
6. A copy of the bid form along with its enclosure submitted online should be sent to Recovery Officer, DRT, Jabalpur, 797-II Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur so as to reach at the earliest.
7. Online bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be **For, Prop. No.1: Rs.20,00,000.00 (Rupees Twenty Lakh only); Prop. No. 2: Rs.2,00,000.00 (Rupees Two Lakh only).** In case of bid received before closure of Auction window, there shall be an automatic extension of 5 minutes in Auction time by the system.
8. The refund of EMD of the unsuccessful bidders will be remitted to the same account from which the payment has been made and no inquiry in this regard will be entertained. After deposit of EMD by intending bidder they cannot withdraw the EMD amount until they are declared as "Unsuccessful bidder" otherwise the amount will be forfeited.
9. In the case of immovable property listed in the schedule below, the successful bidder shall remit 25% of the bid amount (less EMD) on the next day on declaration, if the sale is knocked down in his/her favour, through RTGS/ NEFT/Money Transfer to the **Account no. 07170200000431** mentioned in SL. no. 4 and in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold and amount deposited as EMD will be forfeited.
10. The successful bidder shall remit balance 75% of the sale amount along with poundage of 1% of sale amount plus Rs.10/- for each property separately within 15 days of auction, to the **Account no. 07170200000431** mentioned at SL. no 4 through RTGS/NEFT/Money Transfer, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office working day after 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit will be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
11. Property will be sold **"As is Where is and No Complaint basis".**
12. The properties can be inspected on **20-08-2022 Between 12.00 hours and 16.00 hours.**
13. Properties will not be sold below the upset price.
14. Recovery Officer have the absolute right to accept or reject the bid or postpone/cancel the sale without assigning any reason.
15. Intending bidders are advised to peruse copies of the title deed available with the **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744** and also check the identity and correctness of the property details and encumbrances etc from their own sources also. DRT will not be responsible for correctness etc.
16. Details regarding e-Auction shall he obtained from **M/s.C-1 India Pvt.Ltd.**, website: **https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124- 4302020/21/22/23/24,** for help a bidder in e-auction contact to **Mr. Danish khan on Mobile No. 9826804343, 9111444797; E-mail id: mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com**
17. Further property details if any required shall be obtained from **Mr. Dhimant Shah, Asst. Vice President, contact no. 9326425849, 9320317744.**
18. The bidders may participate in the e-auction by quoting / bidding from their own offices / places of their choice. Internet connectivity shall have to be ensured by each bidder himself. DRT/ Bank / Service Provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, Power failure etc.

Place: Jabalpur
Date: 19-07-2022

Sd/- (SATILSH SOLANKI)
RECOVERY OFFICER